उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-8/2021/500/एक-1-2021-रा0-1
लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2021

अधिसूचना

चूँकि जिला जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज के राजस्व ग्राम साड़ीखुर्द का नाम परिवर्तित करके शचीपुरम (जिसे आगे उक्त राजस्व ग्राम कहा गया है) किये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर के पत्र संख्या-133/डी0एल0आर0सी0 जौनपुर दिनांक 26-09-2020 द्वारा प्रस्तावित किया गया है और आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-1815/9-72/2020 दिनांक 05-10-2020 द्वारा संस्तुत किया गया है। भूमि प्रबंधक समिति ने भी उक्त राजस्व ग्राम का पुनर्नामकरण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है;

और चूँकि भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या-11/15/2020-एम0 एण्ड जी0 दिनांक-25-05-2021 द्वारा उक्त राजस्व ग्राम का नाम परिवर्तन किये जाने के संबंध में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रदान कर दिया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53-पब्लिक, दिनांक-11-09-1953 और पत्र संख्या-11/15/2020-एम0 एण्ड जी0 दिनांक-25-05-2021 के निदेश के अनुसरण में, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तंभ-एक में यथाउल्लिखित राजस्व ग्राम ''साड़ीखुर्द'' का नाम परिवर्तित करके उक्त अनुसूची के स्तंभ-2 में यथा उल्लिखित शचीपुरम करती हैं

राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जो उक्त राजस्व ग्राम के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा हो, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लंबित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

स्तंभ-एक	**स्तंभ-दो**
राजस्व ग्राम का वर्तमान नाम	**राजस्व ग्राम का परिवर्तित नाम**
साड़ीखुर्द	शचीपुरम

आज्ञा से,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 8/2021/500/I-1-2021-R-1 dated 24 June, 2021 for general information.

Notification

No. 8/2021/500 /I-1-2021-R-1
Lucknow: Dated 24 June, 2021

WHEREAS it has been proposed by the District Magistrate, Jaunpur's letter no. 133/D.L.R.C. Jaunpur dated 26-09-2020 and recommended by the Commissioner and Secretary of Board of Revenue letter no. 1815/9-72/2020 dated 05-10-2020, to change the name of revenue village Sadi Khurd to Shachipuram of Vikas Khand Sujanganj, District Jaunpur (hereinafter referred to the said revenue village). The Land Management Committee has also passed the proposal to rename the said revenue village;

AND WHEREAS the Government of India has given the 'No Objection Certificate' in respect of changing the name of the said revenue village vide their letter no. 11/15/2020-M&G dated 25-05-2021;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no.8 of 2012) and in pursuance of the direction of the Home Ministry of Government of India's letter no. 130/53-public dated 11-09-1953 and letter no. 11/15/2020-M&G dated 25-05-2021, the Governor is pleased to change the name of the revenue village "Sadi Khurd" as mentioned in Column-I of the Schedule below to "Sachipuram" as mentioned in Column-II of the said Schedule with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding which has already commenced or is pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said revenue village.

SCHEDULE

Column-I	Column-II
Present name of the revenue village	**Changed name of the revenue village**
SADI KHURD	SHACHIPURAM

By order,
Renuka Kumar
Apar Mukhya Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।